भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 427

दिनांक 04 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

घरेलू उद्योगों पर मुक्त व्यापार समझौतों का प्रभाव

427. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2020 से अब तक घरेलू उद्योगों, विशेषकर लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) पर मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के प्रभाव का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इन मुक्त व्यापार समझौतों के अंतर्गत पहचान की गई चुनौतियों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इन चुनौतियों अथवा इन क्षेत्रों के लिए मुक्त व्यापार समझौते से उत्पन्न चिंताओं का समाधान करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम के साथ भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौतों के आर्थिक प्रभाव का मूल्यांकन करने वाले अध्ययनों की वर्तमान स्थिति और चल रही वार्ताओं में महत्वपूर्ण प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का मुक्त व्यापार समझौते के भाग के रूप में भारतीय पेशेवरों के लिए आवागमन को आसान बनाने संबंधी उपबंधों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो बीजा प्रावधानों, अर्हताओं की मान्यता और अन्य संबंधित पहलुओं सहित भारतीय पेशेवरों के आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे विशिष्ट कदमों/किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या रोजगार और उद्योग के विकास पर मुक्त व्यापार समझौतों के दीर्घकालिक प्रभावों की निगरानी के लिए कोई तंत्र विद्यमान है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (च): मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के प्रभाव का मूल्यांकन करना एक सतत् प्रक्रिया है। घरेलू उद्योग, विशेष रूप से लघु एवं मध्यम उद्यमों पर उनके प्रभाव सहित प्रस्तावित एफटीए की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए सामान्यत एक संयुक्त अध्ययन दल (जेएसजी)

गठित किया जाता है। उद्योग प्रतिनिधियों, वाणिज्य और उद्योग के एपेक्स चैंबरों, उद्योग संघों के साथ-साथ प्रशासनिक मंत्रालयों और विभागों सहित हितधारकों से समय-समय पर परामर्श किया जाता है। लघु एवं मध्यम उद्यमों सहित घरेलू उद्योग के हितों की रक्षा के लिए, मुक्त व्यापार समझौतों में उन मदों की संवेदनशील, नकारात्मक अथवा अपवर्जन सूची रखने का प्रावधान होता है जिन पर सीमित अथवा कोई टैरिफ रियायत प्रदान नहीं की जाती है। इसके अतिरिक्त, आयातों में वृद्धि तथा घरेलू उद्योग को क्षति होने की स्थिति में, देश को एफटीए के अंतर्गत पक्षकारों द्वारा परस्पर सहमति वाली अवधि के भीतर एंटी-डंपिंग और आयातों संबंधी रक्षोपाय जैसे व्यापार सुधारात्मक उपायों का सहारा लेने की अनुमति है।

भारत-यूरोपीय संघ (ईयू) मुक्त व्यापार करार (एफटीए) और भारत-यूनाइटेड किंगडम (यूके) एफटीए के आर्थिक प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए व्यापक अध्ययन किए गए हैं। एक्जिम बैंक ने उत्पादन, निर्यात, आयात और रोजगार पर भारत-ईयू एफटीए के प्रभावों का आकलन किया, जबकि अन्य संस्थानों के सहयोग से भारत-यूके एफटीए के लिए एक पूर्व-अध्ययन किया गया। दोनों समझौतों के लिए वार्ता की स्थिति हितधारकों के साथ गहन परामर्श के माध्यम से तैयार की गई है, जिससे कार्यनीतिक दृष्टिकोण सुनिश्चित होता है। संतुलित और लाभकारी व्यापार डील को प्राप्त करने के लिए आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए वार्ताएं आगे बढ़ रही है।

मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) में, सरकार ने अपने सेवा प्रदाताओं के लिए बाजार पहुंच और राष्ट्रीय व्यवहार के संबंध में सर्वोत्तम शर्तों का अनुकरण किया है जो सीमा पार आवाजाही के माध्यम से सेवाओं की आपूर्ति करते हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने एफटीए में सेवा व्यापार अध्याय और इसके अनुलग्नकों के हिस्से के रूप में और प्राकृतिक आदमी के प्रवेश और अस्थायी प्रवास पर पृथक प्रावधानों के माध्यम से भारतीय पेशेवरों को अस्थायी प्रवेश की सुगमता, वीजा प्रदान करने और मान्यता प्रदान करके सेवा प्रदाताओं की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने और पेशेवर सेवाओं हेतु कदम उठाए हैं।

वाणिज्य विभाग (डीओसी) के अंतर्गत एफटीए निगरानी समिति रोजगार और औद्योगिक विकास पर नियमित उद्योग फीडबैक के माध्यम से एफटीए के प्रभाव की निगरानी करती है। यह आयात से संबंधित मुद्दों जैसे नियम उल्लंघन और अनुचित व्यापार परिपाटियों के साथ-साथ एफटीए के अप्रयुक्त और गैर-व्यापार बाधाओं जैसी निर्यात संबंधी चुनौतियों का समाधान करने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त, वाणिज्य विभाग समीक्षा के लिए और भविष्य की वार्ताओं को निर्देशित करने के लिए आवश्यकतानुसार एफटीए मूल्यांकन अध्ययन आयोजित करता है। जागरूकता बढ़ाकर और मुद्दों का सक्रिय रूप से समाधान करके, समिति विकास और रोजगार सृजन के लिए एफटीए का लाभ उठाने वाले उद्योग का सहयोग करती है।

*****